

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 26-3-19

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.19 द्वारा श्री के.के. बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु आवंटित उर्जा विभाग उनसे प्रत्याहारित (withdraw) कर श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को पैरवी हेतु आवंटित किया जाता है।

नोट:-शेष सेवा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

आज्ञा से,


(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. शासन सचिव, उर्जा विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
6. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
7. श्री के.के. बिस्सा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उर्जा विभाग से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों की समस्त पत्रावलियां श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को सुपुर्द करवाकर इस कार्यालय को मय सूची के अवगत कराने का श्रम करें।
8. श्री अनिल बाछावत, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे श्री के.के. बिस्सा एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर से उर्जा विभाग से संबंधित प्राप्त पत्रावलियों की सूची इस कार्यालय को प्रेषित करें।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, जोधपुर।
17. लेखा शाखा, विधि विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा) 26/3

शासन सचिव,विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(15) राज/वाद/08,पार्ट

जयपुर दिनांक 26-3-19

:: आदेश ::

ईस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.19 द्वारा श्री मनीष टांक, डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी हेतु आवंटित वित्त विभाग एवं कराधान (Taxation) विभाग उनसे तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

आज्ञा से,

ह०
(महावीर प्रसाद शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
6. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
7. श्री संदीप शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
8. श्री मनीष टांक, डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे वित्त विभाग एवं कराधान (Taxation) विभाग से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन प्रकरणों की पत्रावलियां जो उन्हें प्राप्त हो चुकी है/उनकी अभिरक्षा में है। उक्त पत्रावलियां श्री संदीप शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को सुपुर्द करवाकर/सम्भलवाकर इस कार्यालय को मय सूची अवगत कराने का श्रम करे।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. विधि-विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
16. कोषाधिकारी, जोधपुर।
17. लेखा शाखा, विधि विभाग।
18. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

(Mansha)
26/3
(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि